Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 48: Manner of issuing invoice

- (1) The invoice shall be prepared in triplicate, in case of supply of goods, in the following manner, namely:-
 - (a) the original copy being marked as **ORIGINAL FOR RECIPIENT**;
 - (b) the duplicate copy being marked as **DUPLICATE FOR TRANSPORTER**; and
 - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR SUPPLIER.
- (2) The invoice shall be prepared in duplicate, in case of supply of services, in the following manner, namely:-
 - (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT; and
 - (b) the duplicate copy being marked as **DUPLICATE FOR SUPPLIER**.
- (3) The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the Common Portal in **FORM GSTR-1**.
- ¹[(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in **FORM GST INV-01** after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification ²:
 - ³[Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.]
- (5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.
- (6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).]

¹ Sub-rule (4), (5) and (6) inserted by Noti. No. 68/2019–Central Tax, dt. 13-12-2019 w.e.f. 13-12-2019.

² Refer Noti. No. 70/2019–Central Tax, dt. 13-12-2019 w.e.f. 01-04-2020.

³ Proviso inserted by Noti. No. 72/2020–Central Tax, dt. 30-09-2020 w.e.f. 30-09-2020.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 48: बीजक जारी करने की रीति

- (1) बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (क) मूल प्रति को ''प्राप्तिकर्ता के लिए मूल'' के रूप में चिन्हित किया जाएगा ;
 - (ख) दूसरी प्रति "परिवाहक के लिए द्वप्रतिक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा ; और
 - (ग) तीसरी प्रति ''प्रदायकर्ता के लिए तिहरा'' के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
- (2) सेवाओं की प्रदाय की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात :-
 - (क) मूल प्रति को ''प्राप्तिकर्ता के लिए मूल'' के रूप में चिन्हित किया जाएगा; और
 - (ख) द्वितीय प्रति को "प्रदायकर्ता के लिए द्वप्रतिक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
- (3) कर अविध के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या प्ररूप जीएसटीआर—1 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।
- ¹[(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदभ्र संख्या प्राप्त करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आईएनवी—01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित² किया जाए।

³[परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अविध के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।]

- (5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।
- (6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे।

¹ अधिसूचना क्रमांक 68/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.12.2019 द्वारा उपनियम (4), (5), और (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.12.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 70/2019-केन्द्रीयकर दिनांक 13.12.2019 देखें (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020) ।

³ अधिसूचना क्रमांक 72/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.09.2020)।